राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 129वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 129वीं बैठक दिनांक 28/09/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देबाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 128वीं बैठक दिनांक 15/09/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 128वीं बैठक दिनांक 15/09/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मोहरेंगा ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री बसंत सिन्हा), ग्राम–मोहरेंगा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1995)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75906/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मोहरेंगा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1332, कुल क्षेत्रफल–15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 4,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराग बढे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहरेंगा का दिनांक 24/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/36/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत कांकेर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(ए) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री बसंत सिन्हा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 774/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहरेंगा 300 मीटर, स्कूल ग्राम–मोहरेंगा 300 मीटर एवं अस्पताल हसदा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1040 मीटर, न्यूनतम 832 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 504 मीटर, न्यूनतम 488 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 342 मीटर, न्यूनतम 264 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 124 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 4,50,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 10 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदित खदान से मेसर्स डमकाडीह ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री बसंत सिन्हा), ग्राम–डमकाडीह, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी की दूरी 1 कि.मी. है। बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य खदान की 10 कि.मी. की परिधि में किया जाएगा, चूंकि ई.आई.ए. मॉनिटरिंग हेतु 10 कि.मी. के बफर जोन में उपरोक्त खदानें एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दोनों खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों खदानों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरेंगा) का क्षेत्रफल 15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

   v. Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary.

   vi. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

   vii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

   viii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department and DCF (Deputy Conservator of Forest), wildlife, Udanti / Sitanadi sanctuary mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary and Sitanadi/Udanti wildlife sanctuary.

   ix. EIA study shall be at minimum 10 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया गया:–

- 2 (i) "Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." **के स्थान पर** 2 (i) "Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

- 2 (iv) "Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease." **के स्थान पर** 2 (iv) "Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall furnish/submit certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease." पढ़ा जाए।

- 2 (v) "Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary." **के स्थान पर** 2 (v) "Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary." पढ़ा जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually)."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. मेसर्स डमकाडीह ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री बसंत सिन्हा), ग्राम–डमकाडीह, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1996)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75916/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डमकाडीह, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 716, कुल क्षेत्रफल–13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 3,90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराग बढ़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परेवाडीह का दिनांक 15/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/35/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत कांकेर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा) धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 787(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा) धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 787(ए) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री बसंत सिन्हा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के क्रमांक 770/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/3199 धमतरी, दिनांक 18/06/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 15–20 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डमकाडीह 500 मीटर, स्कूल ग्राम–डमकाडीह 500 मीटर एवं अस्पताल हसदा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 995 मीटर, न्यूनतम 935 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 469 मीटर, न्यूनतम 456 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 295 मीटर, न्यूनतम 270 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 143 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 3,90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 10 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदित खदान से मेसर्स मोहरेंगा ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री बसंत सिन्हा), ग्राम–मोहरेंगा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी की दूरी 1 कि.मी.है। बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य खदान की 10 कि.मी. की परिधि में किया जाएगा, चूंकि ई.आई.ए. मॉनिटरिंग हेतु 10 कि.मी. के बफर जोन में उपरोक्त खदानें एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दोनों खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों खदानों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा) धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 787(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–डमकाडीह) का क्षेत्रफल 13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

   v. Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary.

   vi. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

   vii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

   viii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department and DCF (Deputy Conservator of Forest) wildlife, Udanti / Sitanadi sanctuary mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary and Sitanadi/Udanti wildlife sanctuary.

ix. EIA study shall be at minimum 10 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया गया:–

- 2 (i) "Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." **के स्थान पर** 2 (i) "Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

- 2 (iv) "Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease." **के स्थान पर** 2 (iv) "Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall furnish/submit certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease." पढ़ा जाए।

- 2 (v) "Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary." **के स्थान पर** 2 (v) "Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary." पढ़ा जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually)."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक सिंह राजपूत), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1997)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 75976/2022, दिनांक 21/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 83, 93, 94, 95, 96 एवं 97/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–0.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,006.25 टन (802.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पालक राम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 83, 93, 94, 95, 96 एवं 97/2, कुल क्षेत्रफल–0.58 हेक्टेयर, क्षमता–802.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 995/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	200
2018	42
2019	354
2020	715
01/01/2021 से 30/06/2021	317
01/07/2021 से 30/09/2021	220
01/10/2021 से 31/03/2022	320

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 14/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1620/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 12/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1015/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.91 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 385/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री अशोक सिंह राजपुत के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/07/2013 से 14/07/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/07/2023 से दिनांक 14/07/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 83, 93, 94 एवं 97/2 आवेदक के नाम पर है और खसरा क्रमांक 95 एवं 96 श्रीमती जागेश्वरी साहू, श्रीमती मंजनी साहू एवं श्रीमती फूलेश्वरी साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3307 महासमुंद, दिनांक 17/09/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अछोली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल आरंग 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी., नहर 650 मीटर, मौसमी नाला 210 मीटर एवं महानदी 775 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 34,800 घनमीटर (87,000 टन), माईनेबल रिजर्व 7,446 घनमीटर (18,615 टन) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,584 घनमीटर (13,961 टन) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 33,172 घनमीटर (82,930 टन) एवं माईनेबल रिजर्व 5,818 घनमीटर (14,545 टन) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,966 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,502 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छत्तीसगढ़ उपखनिज नियम, 2015 के अन्तर्गत उत्खनन योजना के प्रावधान को शामिल किये जाने से पूर्व ही, उत्खनन के दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।	
तृतीय	1,443.75
चतुर्थ	1,485.0
पंचम	1,777.5

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	1,661.25
सप्तम	2,006.25
अष्टम	2,381.25
नवम	2,388.75
दशम	3,030.0

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 594 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 394 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्रीमती सविता यादव (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 71373/2022) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/05/2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1015/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.91 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil/over burden within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स सलिहाघाट लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री होरी लाल चन्द्रा), ग्राम–सलिहाघाट, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1893)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 248100/2021, दिनांक 29/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/04/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलिहाघाट, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक – 167/1, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.78 हेक्टेयर में है। खदान की उत्खनन क्षमता – 4,330.26 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चूड़ामणी चन्द्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 167/1, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–0.78 हेक्टेयर, क्षमता– 4,330.3 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी/प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खलि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016–17	1,360
2017–18	985
2018–19	890
2019–20	995
2020–21	300

v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 01/04/2021 से दिनांक 06/08/2022 तक पत्थर उत्खनन कार्य बंद है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलिहाघाट का दिनांक 24/03/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वॉरी प्लान, इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1507/ख.लि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 06/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खलि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.683 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खलि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री होरीलाल चंद्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2008 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज का नवीनीकरण 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि/खनिज/2022/1246 बलौदाबाजार, दिनांक 05/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलिहाघाट 850 मीटर, स्कूल ग्राम–सलिहाघाट 1 कि.मी. एवं अस्पताल भटगांव 6.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.25 कि.मी. दूर है। महानदी 220 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 99,236 टन, माईनेबल रिजर्व 46,989 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,290 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 94,203 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 37,760 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.3 मीटर थी, जिसका उत्खनन पूर्व में ही किया जा चूका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,317.77	षष्ठम	4,330.3
द्वितीय	4,330.3	सप्तम	4,330.3
तृतीय	4,330.3	अष्ठम	4,330.3
चर्तुथ	4,330.3	नवम	4,330.3
पंचम	4,330.3	दशम	4,330.3

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.15 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 588 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसके अनुसार पौधों, खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,14,700 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 4,58,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,940 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,096.57 वर्गमीटर क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,096.57 वर्गमीटर क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी लीज प्राप्त होने के पूर्व से ही उत्खनित है। वर्तमान में उनके द्वारा उत्खनित क्षेत्र का मिट्टी से पुनःभराव कर वृक्षारोपण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
15.53	2%	0.31	Following activities at, Government Middle School **Village- Salihaghat**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			UV Water Filter (8 litre)	0.19
			5 Year AMC	
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank	0.16
			Pipeline & Installation	
			Total	**0.35**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.683 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सलिहाघाट) का क्षेत्रफल 0.78 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सलिहाघाट) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.463 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सलिहाघाट लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री होरी लाल चन्द्रा) को ग्राम–सलिहाघाट, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 167/1, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.78 हेक्टेयर, क्षमता – 4,330 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मेसर्स सलिहाघाट लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री होरी लाल चन्द्रा) को ग्राम–सलिहाघाट, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 167/1, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.78 हेक्टेयर, क्षमता – 4,330 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती शानू गुप्ता), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2000)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 76120/2022, दिनांक 25/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 74/2, कुल क्षेत्रफल – 0.83 हेक्टेयर में है। खदान की उत्खनन क्षमता – 1,365 घनमीटर (3,412.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 74/2, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,365 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र के ज्ञापन क्रमांक 1010/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 03/08/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	519
2018	399
2019	250
2020	547
01/01/2021 से 30/09/2021	निरंक
01/10/2021 से 31/03/2022	200

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 23/01/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2016/2731 रायपुर, दिनांक 29/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.77 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती शानू गुप्ता के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2011 से 21/02/2021 तक

की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज का नवीनीकरण 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2021 से 21/02/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3525 महासमुंद, दिनांक 30/08/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोड़ारी 125 मीटर, स्कूल ग्राम–घोड़ारी 740 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। महानदी 410 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,61,447 टन, माईनेबल रिजर्व 84,022 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 63,016 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,56,660 टन एवं माईनेबल रिजर्व 79,235 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,604 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,253.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,000	षष्ठम	3,513.75
द्वितीय	3,112.5	सप्तम	3,600
तृतीय	3,206.25	अष्ठम	3,712.5
चर्तुथ	3,300	नवम	3,806.25
पंचम	3,412	दशम	3,903.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 570 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 370 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स

(टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स अरिहंत टाईल्स (प्रो.– श्री मनीष कोठारी, लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2001)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69742/2021, दिनांक 25/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (फर्शी पत्थर) (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल – 0.48 हेक्टेयर में है। खदान की उत्खनन क्षमता – 2,988.75 टन (1,195.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कोठारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल–0.48 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,195.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	468
2018	1,346
2019	1,497
2020	1,410

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 19/08/2009 एवं दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1777/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 02/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.12 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1284/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स अरिहंत टाईल्स प्रो. श्री मनीष कोठारी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 12/10/2010 से 11/10/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 25 वर्षो अर्थात् दिनांक 12/10/2015 से 11/10/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3977 महासमुंद, दिनांक 04/11/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोड़ारी 500 मीटर, स्कूल ग्राम–घोड़ारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। महानदी 250 मीटर दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,12,918 टन, माईनेबल रिजर्व 29,444 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 22,083 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,06,948 टन एवं माईनेबल रिजर्व 23,474 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,556 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,553.75	षष्ठम	3,041.25
द्वितीय	2,602.5	सप्तम	3,071.25
तृतीय	2,628.75	अष्ठम	3,116.25

चर्तुथ	2,876.25	नवम	3,187.5
पंचम	2,988.75	दशम	3,255.0

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.11 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 311 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 111 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.12 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 0.48 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.60 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

ix. EIA study shall be at minimum 12 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती अनुपमा रात्रे), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2002)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए /सीजी /एमआईएन / 76145/2022, दिनांक 26/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 29, कुल क्षेत्रफल– 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,375 घनमीटर (5,937.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवकुमार रात्रे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 29, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 20/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 20/03/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र के ज्ञापन क्रमांक 1025/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	
2019	153
2020	201
01/01/2021 से 30/09/2021	255
01/10/2021 से 31/03/2022	675

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 23/01/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2016/क्यू रायपुर, दिनांक 23/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.06 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1289/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अनुपमा रात्रे के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2686 महासमुंद, दिनांक 03/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोड़ारी 120 मीटर, स्कूल ग्राम–घोड़ारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 7.65 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 880 मीटर एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। महानदी 620 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,05,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 38,233 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,03,716 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 79,235 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,125 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर

है तथा कुल मात्रा 8,812.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500	षष्ठम	2,500
द्वितीय	2,500	सप्तम	2,500
तृतीय	2,500	अष्ठम	2,500
चर्तुथ	2,500	नवम	2,500
पंचम	2,500	दशम	2,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 825 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 625 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

   v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vi. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

   vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

   viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत क्वारी प्लान के अनुमोदन पत्र में जावक क्रमांक का उल्लेख नहीं है, जबकि जावक क्रमांक में क./ख.लि./तीन–6/2016/क्यू का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. प्रस्तुत क्वारी प्लान के अनुमोदन पत्र में जावक क्रमांक का उल्लेख नहीं है, जबकि जावक क्रमांक में क./ख.लि./तीन–6/2016/क्यू का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम–कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 287493/2022, दिनांक 06/08/2022। मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, मोनेट मार्ग, मंदिर हसौद, जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम–कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला–रायपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर के कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/294/2015-IA.II(M), दिनांक 17/05/2017 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 6203/टी.एस./सी.ई.सी.बी./2020 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 01/12/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
6. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–**

1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी से संशोधित माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समस्त आवश्यक विधिक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57836/2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57836/2020, दिनांक 02/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रुप में मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली चचाने एवं श्री बुद्धदेव पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस के पत्र दिनांक 07/22/2021 द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु एकत्रित बेसलाईन डाटा पूर्ण रूप से सत्य होना एवं एकत्रित बेसलाईन डाटा की जवाबदारी लेते हुये शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सलाहकार (NABET Accrediated) को परिर्वतन करने हेतु अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 01/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4131/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 65.359 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1040/ख.लि. /तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि श्री जितेन्द्र अग्रवाल के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/उ.प./2020/657 रायपुर, दिनांक

19/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4571/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 17/08/2022) हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा./719 रायपुर, दिनांक 06/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 750 मीटर, स्कूल बंगोली 925 मीटर एवं अस्पताल तिल्दा 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. एवं खारून नदी 21.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,59,243 टन माईनेबल रिजर्व 5,75,581 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,46,802 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,324 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,289 घनमीटर एवं मोटाई 0.25 मीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3,077 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग, रॉक ब्रेकर का उपयोग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,993	षष्टम	37,584
द्वितीय	14,989	सप्तम	37,513
तृतीय	38,012	अष्ठम	38,019
चर्तुथ	37,914	नवम	37,691
पंचम	37,761	दशम	37,855

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.26 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,524 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 500 मीटर		2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000
खदान के बाउण्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,524 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,850	7,800	7,800	7,800	7,800
	फेंसिंग हेतु राशि	1,21,950	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		5,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000
कुल राशि = 56,53,000		**13,37,000**	**8,39,000**	**8,39,000**	**8,39,000**	**8,39,000**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 15/10/2020 से 31/01/2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (μg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	33.98	46.57	60

PM_{10}	68.36	87.5	100
SO_2	10.12	15.73	80
NO_2	19.03	31.54	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.8	54.4	75
Night L_{eq}	39.7	43	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8,312 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.554 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8,369 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.558 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान के आस–पास प्रतिदिन हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जबकि समीप में घनी आबादी क्षेत्र है, जिसकी आवाज आस–पास के ग्राम तक जाती है। इसके कारण पूर्व में गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। शासन के नियमानुसार कंट्रोल ब्लॉस्टिंग होनी चाहिए।

ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है। क्रशर से उत्सर्जित डस्ट को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।

iii. पर्यावरण संरक्षण हेतु केवल 10–20 नग पौधों का ही रोपण कार्य किया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। वृक्षारोपण कर उसके रख–रखाव पर ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। गांव के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधांए उपलब्ध करायी

जाये। परियोजना में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण एवं बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुमति उपरांत नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग किया जाएगा एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ब्लॉस्टिंग का स्तर सामान्य रहेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

iii. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्गों में सुरक्षा घेरा सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी एवं उन्हे सुरक्षा उपकरण, बीमा आदि उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 43 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 5.82 कि.मी.		14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,614 नग) वृक्षारोपण	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) एवं फेंसिंग हेतु राशि	11,32,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	खाद हेतु राशि	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700

हेतु	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)		1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
कुल राशि = 2,59,04,000		**60,76,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
वृक्षारोपण हेतु	44,000	18,000	18,000	18,000	18,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 6,11,000	**1,43,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.01	Following activities	
			Plantation with fencing around PANKHATTI TALAB in Village-Dhansuli & 5 year AMC	5.74
			Total	**5.74**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ आम के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,24,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 248, क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। अतः समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रूपये अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख. लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान

से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 65.359 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का क्षेत्रफल 2.813 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर क्षेत्रफल 68.172 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रूपये को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान के समीपस्थ ग्राम के तालाब के नजदीक शासकीय

भूमि में ईको पार्क निर्माण हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 29/08/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/09/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये सी. ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

(क) उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 873, दिनांक 29/08/2022 के बिंदु क्रमांक 2 में मुझे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पोंसिबिलिटि के पालन में 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है जो मुझे मान्य नहीं है। इस संदर्भ में दिनांक 10/09/2022 को मेरे एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज संघ के द्वारा अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों को रखा गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पोंसिबिलिटि मद में परियोजना की लागत का अधिकतम 2 प्रतिशत राशि खर्च करने हेतु बाध्य है।

2. उक्त ऑफिस मेमोरेंडम में कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉसिबिलिटि मद की राशि को शासन के किसी भी खाते में जमा कराए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश नहीं है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III दिनांक 30/09/2020 के अनुसार कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉसिबिलिटि मद की राशि को पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया है।

4. मेरे प्रकरण में परियोजना की लागत 100.05 लाख है इसका 2 प्रतिशत 2.01 लाख रूपये होता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान मेरे द्वारा समिति के समक्ष 2.01 लाख रूपये की तुलना में 2.08 लाख रूपये कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉसिबिलिटि के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला धनसुली में खर्च करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे अमान्य करते हुए समिति के द्वारा परियोजना लागत का 5.74 प्रतिशत राशि के रूप में 5,74,000 रूपये को 5 वर्षो में खर्च करते हुए ग्राम धनसुली में स्थित तालाब में वृक्षारोपण एवं 5 वर्षो तक देखभाल किए जाने का निर्देश दिया गया एवं बाद में वृक्षारोपण के उक्त प्रस्ताव को भी अमान्य करते हुए 5,74,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया। यह निर्देश भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नियमों के अनुसार नहीं है। नियम से अधिक अतः 5,74,000 रूपये 5 वर्षों में खर्च करना या एकमुश्त एडवांस के रूप में जमा करना मेरी समर्थता से बाहर है।

(ख) उक्त तथ्यों को सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. द्वारा निम्नलिखित मौखिक सहमति प्रदान की गई

1. कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉसिबिलिटि के पालन में 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने हेतु जारी निर्देश को निरस्त कर दिया जाएगा।

2. कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉसिबिलिटि मद में नियमानुसार परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत राशि के अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित राशि 2,08,000 रूपये के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

(ग) अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए एवं मेरे प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे न्याय देने की कृपा करें –

1. संदर्भित पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 29/08/2022 के बिन्दु क्रमांक 2 में जारी निर्देश को निरस्त करने की कृपा करें।

2. मैं सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मद में नियमानुसार परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत राशि अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित राशि 2,08,000 रूपये ही परियोजना संचालन के दौरान ही खर्च करने में समर्थ हो पाऊंगा। मेरे द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम–धनसुली हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। संलग्न प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त अन्य 5 शर्तों के संबंध में निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. सी.एम.डी.सी. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 26/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	पथरई	मैनपाट/सरगुजा	79.19	82064
2.	नर्मदापुर	मैनपाट/सरगुजा	139.50	82088
3.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सरगुजा	147.625	82957

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह सितम्बर 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं सी.एम.डी.सी. को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़